

प्लास्टर मामले में जांच का दायरा बढ़ा, गिरफ्तारी से जेल दाखिले तक की प्रक्रिया खंगाल रही पुलिस

-

इंदौर के अस्पतालों के वैधानिकता को लेकर दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के पूर्व निदेश के अनुसार याचिकाकर्ता एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने अपना विस्तृत प्रत्युत्तर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रत्युत्तर में आरोप लगाया है कि

सीएमएचओ डॉ. माधव हासानी द्वारा कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वास्तविक स्थिति छिपाकर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ अस्पतालों को राहत मिल सके। रिजॉइंडर के साथ याचिकाकर्ता ने

नगर निगम की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया है. मामले में दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है.

एडिशनल डीसीपी जोन 3,
ओमप्रकाश

एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत की जांच में सामने आया कि स्थानका शाखा में कार्यरत दो अस्थाई कर्मचारियों ने मस्टर कर्मचारियों के बैंक खाते परिवर्तन की प्रक्रिया का कथित रूप से दुरुपयोग किया. जांच के अनुसार, अमन सावली निवासी राजनगर और अजय पंवार निवासी पटनपुरा, मांगीलांच की चाल पर आरोप है कि उन्होंने पाल मस्टर कर्मचारियों के नाम पर फजी बेंक खाते तैयार किए और उनमें 2 लाख 94 हजार 193 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. मामला सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन ने

प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई की. अमन सालवी की सेवाएं समाप्त कर उसकी सिस्टम आईडी लॉक कर दी गई, जबकि अनुज पंवार की

लता-रफी फैस वलब को रफी की पण्यतिथि पर कार्यक्रम



शुक्रवार 31 जुलाई को स्टेशन अधीक्षक रेलवे स्टेशन इंदौर की ओर गये। सूचना दी गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 स्थित आरपीएफ पोस्ट के सामने करीब 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में किसी अज्ञात बीमारी के कारण मौत होने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने मौके की कार्रवाई के बाद शव

जाने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक के साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे. घटना के बाद

मालवा मिल चौराहे से लगे वा
नम्बर 46 के रुस्तम का बगीचा, ग
महाराज की चाल और विद्या भव
स्कूल के सामने का क्षेत्र विकास का
की अधूरी तस्वीर पेश कर रहा है। मुख



के दिनों में गलियों में कीचड़ और जलभराव से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। गंदगी के कारण मच्छर और मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है। जर्जर रास्तों के कारण सफाईकर्म भी नियमित रूप से नहीं पहुंच पाते, जिसके चलते जगह जगह

A portrait of a young man with short dark hair, wearing a dark blue police uniform with a light blue collar. He is looking directly at the camera with a slight smile. The background is a plain, light-colored wall.

राजेद्र नगर में रहने वाले 31 वर्षीय मेजर हमजा आरिफ करीब नौ वर्षों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे थे.

गुरुवार रात जैसलमेर क्षेत्र में सैन्य वाहन से लौटते समय यह हादसा हुआ। वाहन के पलटने से मेजर हमजा गंभीर रूप से घायल हुए और उनका निधन हो गया। इंदौर में जैसे ही उनके बलिदान की खबर पहुंची, राजेंद्र नगर क्षेत्र में शोक छा गया। जिस परिप्रेक्ष्य में अपने बेटे को देश की सेवा के लिए समर्पित किया था, वहां अब मातम का माहौल है। परिवार के अनुसार, मेजर हमजा का विवाह करीब एक माह पहले ही हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और तीन बहनें हैं, पिता आरआर कैट से सेवानिवृत्त हैं। मेजर हमजा का पश्चिम शरीर शनिवार दोपहर तक इंदौर पहुंचने की संभावना है। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी अंतिम यात्र में बड़ी संख्या में शहरवासियों के शामिल होने की संभावना है।

- ▶ छह आरोपियों की जानकारी नगम निगम से मांगी
- ▶ साइबर टगों को खाते उपलब्ध कराने का आरोप
- ▶ पुलिस को शक- करोड़ों के ट्रांजैक्शन से हुई कमाई को किय जा सकता है फ़ीज

नव भारत न्यूज
इंदौर. साइबर ठाणों को फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए फ्राइम ब्रांच अब आरोपियों की संपत्ति की जांच में जुट गई है. पुलिस ने गिरोह से जुड़े छह आरोपियों की संपत्ति की जानकारी नगर निगम से मांगी है. जांच एजेंसी को आसंका है कि आरोपियों ने फर्जी खातों की बिक्री से बड़ी रकम कमाई है

वायरल वीडियो में प्रधान
आरक्षक शराब दुकान के कर्मचारियों
से विवाद करते और मारपीट करते
नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि
विवाद किसी सामान की खरीद और
उसके भुगतान को लेकर शुरू हुआ
था, जिसके बाद मामला बढ़ गया।
वीडियो में प्रधान आरक्षक दुकान के
अंदर काउंटर तक पहुंचकर

पूर वाड
नव भारत न्यूज
इंदौर. वार्ड क्रमांक 46 के कु
क्षेत्रों में मुख्य सड़कें तो चमक रही
लेकिन अंदरूनी गलियां वर्षों
बदहाल पड़ी हैं. अधुरी सड़कें

जलभराव, कीचड़ और गंदगी के कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाए हैं।

मालवा मिल चौराहे से लगे वा
नम्बर 46 के रुस्तम का बगीचा, ग
महाराज की चाल और विद्या भव
स्कूल के सामने का क्षेत्र विकास का
की अधूरी तस्वीर पेश कर रहा है। मुख

पिछली सुनवाई के दौरान एडवोकेट चर्चित शास्त्री ने अदालत को बताया था कि जहाँत याचिका दाखल करने के बाद उन पर ख़ाब बनाने और हमले के प्रयास किए. इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता की सुरक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है. अब गुरुवार को दाखिल किए गए प्रत्युत्तर और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई में विचार करेगा. अदालत संबंधित पक्षों के जवाब और लगाए रिपोर्ट के आधार पर आगे के निर्देश जारी करेगी. मामले में तलाप गव आरोपों पर अंतिम स्थिति न्यायालय के आगामी भादले के बाद ही स्पष्ट होगी.

एसे दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का दावा किया है, जिन्हें उन्होंने कूटरचित बताया है। साथ ही कुछ अस्पतालों के संबंध में यह भी कहा है कि वे आवश्यक वैधानिक अनुमति और पंजीयन के बिना संचालित हो रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड में उनकी स्थिति

अलग दर्शाई गई है। मामले की पिछली सुनवाई में भी याचिकाकर्ता ने कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। उनका कहना था कि हाईकोर्ट ने 31 अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन सीएमएचओ की ओर से 34 संस्थानों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई।

में सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए मामले की पूरी जानकारी उनके पास नहीं है।
सीएमएचओ, डॉ. माधव हासानी

सुसके अलावा विनायक पैथोलॉजी लै
और लेडी हलीमा हॉस्पिटल को स
केए जाने से जुड़े कथित फर्जी आवे
भी रिकॉर्ड पर रखने का आरोप लगा
या. याचिका में यह दावा भी किया ग
है कि कुछ अस्पतालों ने भवन अनुम
संबंधी दस्तावेजों के समर्थन में न
नेगम के कथित फर्जी शपथ-प
याचिकायालय में प्रस्तुत किए हैं.
दस्तावेजों का सत्यता पर
याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं.

- ▶ एक और व्यक्ति ने पुलिस को साँपे डायरी, एग्रीमेंट
- ▶ शुभम वैली में 11 लाख रुपए देकर भी नहीं मिला प्लाट, पहले युवती भी कर चुकी है शिकायत; अन्य पीड़ितों से संपर्क कर रही पुलिस

नव भारत न्यूज
इंदौर. ड्रग्स, ऑनलाइन स
और प्लाट धोखाधड़ी के मामलों
जांच के घेरे में आए नाना पटवारी अ
उसके साथियों की मुश्किलें बढ़
नजर आ रही हैं. प्लाट के नाम पर ट
का आरोप लगाते हुए एक और व्य
ने राजेंद्रनगर थाने पहुंचकर पुलिस
डायरी और एग्रीमेंट सौंपें
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शुभ
वैली में प्लाट के लिए 11 लाख रु

संजय महाजन नामक व्यक्ति ने
थाने पहुँचकर प्लाट से जुड़े दस्तावेज
पुलिस को दिए हैं। शिकायतकर्ता ने
बायाँ का हिस्सा उसने शुभम वैली में प्लाट
खरीदने के लिए राशि दी थी, लेकिन
लंबे समय बाद भी उसे प्लाट नहीं
मिला। उससे पहले भी एक युवती
नामा पटवारी, भरत पटवारी और
सुमित मंत्री के खिलाफ इसी तरह की
शिकायत कर चुकी है। इस मामले में
पुलिस पहले ही जांच शुरू कर चुकी
है और तीनों से पूछताछ भी कर चुका
है। अब नई शिकायत और
दस्तावेजों की भी जांच में शामिल
किया है। पुलिस अधिकारियों का
कहना है कि आरोपों की जांच के
लिए संबंधित लोगों को दोबारा

एक व्यक्ति ने प्लाट से जुड़े दस्तावेज थाने में जमा कर शिकायत की है। मामले की जांच में इन दस्तावेजों को शामिल किया है, अन्य लोगों से भी जानकारी ली जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

डीसीपी, नरेंद्र सिंह रावत

पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. वहीं पुलिस को जानकारी मिली है कि शुभम वैली में प्लाट के नाम पर कथित धोखाधड़ी के कुछ और पीड़ित भी सामने आए हैं, जिनसे संपर्क कर उनके बयान और दस्तावेज लिए जा रहे हैं.

इंदौर. गांधी नगर थाणा क्षेत्र के दिलीप नगर में शुक्रवार को कार हादसे में 4 साल के शिवांश पिता वसिष्ठ शर्मा निवासी ग्राम बिंजाना, थाणा देवास की मौत हो गई. शिवांश मां मोना के साथ कार को आगे वाली सीट पर बैठा था। हादसे के बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एमवाय अस्पताल रेफर किया. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजन सज्जन सिंह ने पुलिस को बताया कि परिवार कार से मानपुर के समीप 13वीं के आर्यक्रम में जरा हाथा थकी ईंदौरान कार को चक्कर लही कार से टकरा गई. हादसे में एयरबैग खुल गया. लेकिन शिवांश घायल हो गया. पुलिस ने एमवाय अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू की है.

- ▶ 138 एनआई एक्ट के लंबित मामले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष भेजी जाएंगे
- ▶ रिपोर्ट तलब कर आगे की कार्रवाई की जाएगी

नव भारत न्यूज
इंदौर, जिला अभिभाषक
संघ इंदौर ने अभिभाषकों से
स्थाई वारंट वाले लंबित
प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध
कराने की अपील की है। संघ ने
कहा है कि 138 नेगोशिएबल
इंस्ट्रुमेंट एक्ट के ऐसे मामलों
में, जिनमें स्थाई वारंट जारी हो
चके हैं और अब तक उनकी

गलियां ह



हमें अच्छा और पक्का रोज चाहिए, आसपास की गलियों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए. घरों के सामने गंदगी फैली रहती है, शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती.

— ब्रारका रनित

संघ की ओर से जारी सूचना में अधिभाषकों से कहा गया है कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर अपने प्रकरण क्रमांक, पेशी दिनांक, जिस दिन स्थाई वारंट जारी हुआ है उसकी जानकारी और संबंधित न्यायाधीश का नाम जिला जमा कराएँ, प्राप्त जानकारी के आधार पर सूची तैयार कर प्रधान न्यायाएल एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद संबंधित न्यायालयों से प्रकरणों की रिपोर्ट तलब कराएगी और कार्यवाही की जाएगी।

ई बद्दहाल

— अनीता सुर्यवंशी

कचरे के ढेर लगे रहते हैं. रहवासी का कहना है कि सड़क निर्माण और सफाई व्यवस्था को लेकर पाषाण

वेधायक और नगर निगम अधिकारियों से कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस

नगरवासियों ने जल्द सड़क निर्माण और नियमित सफाई व्यवस्था की मांग की है।